



# उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय

(राज्य सरकार का स्वायत्तभासी निकाय, विश्वविद्यालय अनुदान अधिनियम, 1956 की धारा 2(एफ) के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त, भारतीय विश्वविद्यालय संघ (ए.आई.यू.) की सदस्यता प्राप्त)

हरावाला, देहरादून-248001 दूरभाष: 0135-2685124, फ़ैक्स: 0135-2685137,

वेबसाईट: [www.uau.ac.in](http://www.uau.ac.in), मेल- [uttarakhandayurved@gmail.com](mailto:uttarakhandayurved@gmail.com), [uauaffiliation@gmail.com](mailto:uauaffiliation@gmail.com)

पत्रांक : 1710 / उ0आ0वि0 / सम्बद्धता / परिसर शुल्क / 2020-21

दिनांक: 14 / अक्टूबर / 2020

## कार्यालय आदेश (संशोधन)

विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में निर्गत कार्यालय आदेश-1671 / उ0आ0वि0 / सम्बद्धता / परिसर शुल्क / 2020, दिनांक: 12.10.2020 में आंशिक संशोधन करते हुये सम्यक् विचारोपरान्त विश्वविद्यालय परिसरों (ऋषिकुल परिसर/गुरुकुल परिसर हरिद्वार एवं आयुर्वेद संकाय, मुख्य परिसर, हरावाला, देहरादून) में संचालित बी0ए0एम0एस0 (स्नातक पाठ्यक्रम) के शैक्षणिक सत्र 2016-17 एवं आगामी सत्रों तथा एम0डी0/एम0एस0 (आयु0) (स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम) के शैक्षणिक सत्र 2017-18 एवं आगामी सत्रों हेतु शुल्क का निर्धारण निम्नवत् किया जाता है:-

बी0ए0एम0एस0, एम0डी0/एम0एस0 (आयु0) विश्वविद्यालय परिसरों में राज्य कोटे की सीटों हेतु

क्र0स0	शुल्क विवरण	बी0ए0एम0एस0 हेतु निर्धारित शुल्क (रूपये में)	एम0डी0/एम0एस0 (आयु0) हेतु निर्धारित शुल्क (रूपये में)
01	शिक्षण शुल्क	प्रथम वर्ष	48,000 / -
		द्वितीय वर्ष	48,000 / -
		तृतीय वर्ष	48,000 / -
		चतुर्थ वर्ष	48,000 / -
		अंतिम वर्ष (06 माह)	24,000 / -
02	शिक्षण शुल्क	प्रथम वर्ष	-
		द्वितीय वर्ष	1,08,000 / -
		तृतीय वर्ष	1,08,000 / -
03	प्रवेश शुल्क (केवल प्रवेश के समय)	5,000 / -	1,08,000 / -
04	बंधक शुल्क (कासन मनी) (केवल प्रवेश के समय) (प्रतिदेय/Refundable)	7,000 / -	5,000 / -
05	हॉस्टल शुल्क (प्रतिवर्ष)	15,000 / -	10,000 / -
06	नामांकन शुल्क (केवल एक बार देय, प्रथम वर्ष)	2,000 / -	18,000 / -
07	परीक्षा शुल्क (प्रति वर्ष)	6,000 / -	8,000 / - प्रथम वर्ष हेतु
			2,500 / - सिनोप्सिस शुल्क
			8000 / - + 5000 / - (थिसिस) = कुल 13000 / - तृतीय वर्ष में देय
08	स्मार्ट कार्ड शुल्क (केवल एक बार देय, प्रथम वर्ष)	200 / -	200 / -
09	विकास शुल्क (प्रति वर्ष)	1000 / -	1500 / -
10	क्रीडा शुल्क (प्रति वर्ष)	700 / -	1000 / -
11	छात्र कल्याण शुल्क (केवल एक बार देय, प्रथम वर्ष)	1000 / -	1500 / -
12	एलुमनी शुल्क (अंतिम वर्ष)	1000 / -	1500 / -

नोट:- हॉस्टल उपलब्धता के आधार पर एवं एक कक्ष में 02 शैय्यानुसार।


**बी0ए0एम0एस0, एम0डी0/एम0एस0 (आयु0) विश्वविद्यालय परिसरों में स्व:वित्त पोषित  
(Self Finance All India Quota) कोटे की सीटों हेतु**

क्र0स0	शुल्क विवरण	बी0ए0एम0एस0 हेतु निर्धारित शुल्क (रुपये में)	एम0डी0/एम0एस0(आयु0) हेतु निर्धारित शुल्क (रुपये में)
01	शिक्षण शुल्क (प्रतिवर्ष)	1,20,000 /-	-
02	शिक्षण शुल्क (प्रतिवर्ष)	-	2,00,000 /-
03	प्रवेश शुल्क (केवल प्रवेश के समय)	5,000 /-	5,000 /-
04	बंधक शुल्क (कासन मनी) (केवल प्रवेश के समय) (प्रतिदेय / Refundable)	7,000 /-	10,000 /-
05	हॉस्टल शुल्क (प्रतिवर्ष)	15,000 /-	18,000 /-
06	नामांकन शुल्क (केवल एक बार देय, प्रथम वर्ष)	2,000 /-	3,000 /-
07	परीक्षा शुल्क (प्रति वर्ष)	6,000 /-	8,000 /- प्रथम वर्ष हेतु 2,500 /- सिनोप्सिस शुल्क 8,000 / + 5,000 /- (थिसिस) = कुल 13,000 /- तृतीय वर्ष में देय
08	स्मार्ट कार्ड शुल्क (केवल एक बार देय, प्रथम वर्ष)	200 /-	200 /-
09	विकास शुल्क (प्रति वर्ष)	1,000 /-	1,500 /-
10	कीडा शुल्क (प्रति वर्ष)	700 /-	1000 /-
11	छात्र कल्याण शुल्क (केवल एक बार देय, प्रथम वर्ष)	1000 /-	1,500 /-
12	एलुमनी शुल्क (अंतिम वर्ष)	1000 /-	1,500 /-

नोट:- हॉस्टल उपलब्धता के आधार पर एवं एक कक्ष में 02 शैयानुसार।

2- उक्त सभी शुल्कों को विश्वविद्यालय के परिसर निदेशक अपने स्तर से छात्र-छात्राओं से प्राप्त कर एक मुश्त धनराशि वित्त अधिकारी, उत्तरखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, देहरादून के नाम बैंक ड्राफ्ट के रूप में जमा कराया जाना अनिवार्य होगा। उक्त के साथ अभ्यर्थी का नाम, अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराया गया उक्तानुसार शुल्क का विवरण भी प्रस्तुत करना होगा।


3- उक्त आदेश माननीय कुलपति महोदय की अनुमति/सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

  
 (प्रो(डॉ) सुरेश चौबे)  
 कुलसचिव

पृष्ठांकन संख्या: तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, आयुष एवं आयुष शिक्षा अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 कुलपति महोदय, उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, देहरादून।
3. परिसर निदेशक, ऋषिकुल परिसर, (हरिद्वार), उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय।
4. परिसर निदेशक, गुरुकुल परिसर, (हरिद्वार), उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय।
5. परिसर निदेशक, आयुर्वेद संकाय, मुख्य परिसर, देहरादून, उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय।
6. मुख्य वित्त अधिकारी/लेखाधिकारी, उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय।
7. विश्वविद्यालय के समस्त अनुभाग/अधिकारी/पटल सहायक।
8. एम0आई0एस0, उ0आ0वि0 को इस आशय से प्रेषित की उक्त सूचना को विश्वविद्यालय वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
9. गार्ड फाईल।

  
 (प्रो(डॉ) सुरेश चौबे)  
 कुलसचिव